



चित्रोत्पला शिक्षण समिति द्वारा संचालित
पं. आर. एस. एस. यू. से संबद्धता प्राप्त

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय

(NAAC ACCREDITED-B)



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Seth Phoolchand Agrawal Smriti Mahavidyalaya
Kawapara-Rajim, Raipur, affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University,
Chhattisgarh as
Accredited
with CGPA of 2.20 on seven point scale
at B grade
valid up to October 29, 2022*

Date : October 30, 2017



Director

BC/SC/28/A&A/176.1

Glimpse of 25th Anniversary "SETU"



Inaugural Ceremony



Best Principal Awardee - Dr. Shobha Gawri



Man behind SPCA - SETU - Chairman
" Shri Manmohan Agrawal ji"



All our enthusiastic volunteers with the
musical band "Kabir Café"



"Bunch of Fools"- Raipur



Mr. Abhishek Acharya



Hypnotist - Mr. Navnath Gaekwad



Kabir Cafe founder member Mr. Neeraj Arya

Glimpse of 25th Anniversary "SETU"



Proud Moment for all of us



Mind Reader - Mr. Abhishek Acharya



Our Achiever's



Pt. Vijayshankar ji Mehta



We all are one



Vande Mataram



Youth Director - Mr. Yash Agrawal



SPCA Rockstars



PROSPECTUS



चित्रोत्पला शिक्षण समिति द्वारा संचालित

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय

प्रेरणा स्रोत



स्व. सेठ फुलचंदजी अग्रवाल

स्व. श्रीमती सत्यभामा अग्रवाल





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262807

क्रमांक : 2817 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2020

रायपुर, दिनांक : 29 / 05 / 2020

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.11.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.11.2019 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम जिला- रायपुर (छ.ग.) spcacollege@gmail.com Mobile No.- 9479136402 Phone No.- 07701 234094	Permanent Affiliation B.A. - F.C., Hindi, History, Economics, Political Sc., Sociology, Geography, Home Science. B.Sc. - F.C., Physics, Chemistry, Math's, Botany, Zoology. B.Com., B.Com. - Comp. Appli. M.A. -Hindi, Geography, Political Science. Non- Permanent Affiliation B.Ed. (100 Seat) B.Sc. - Microbiology-25, Biotechnology-25, Comp. Sc. 50 (30+20) B.C.A. (40) B.A. - A.I. History (15), Eng. Lit. (15), B.Sc. -I.T. (20), DCA M.A. - Sociology PGDCA M.Com. M.Sc. Computer Sc. (20), M.Sc.- Biotech.-(10) M.Sc. - Chemistry-(15 seats) M.Sc. Pre. (I & II Sem.) Botany-20 seats M.Sc. Pre. (I & II Sem.) Maths-20 seats

निर्देश:-

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जावे।
3. महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
4. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार

विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (अका.)

पु. क्रमांक : 2818 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2020

रायपुर, दिनांक : 29 / 05 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी प्रेस कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

तक़्क़िद अधीक्षक (अका.)

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय

नवापारा नगर (छत्तीसगढ़)

विवरणिका

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से "B" ग्रेड प्राप्त

कमल परिक्षेत्र, पद्मापुरी छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाली राजिम, त्रिवेणी संगम के समीप नवापारा में अवस्थित चित्रोत्पला शिक्षण समिति द्वारा संचालित सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय का इतिहास वर्ष 1994 से प्रारंभ होता है। कोलकाता निवासी श्री सांवर अग्रवाल एवं श्रीमती कुसुम अग्रवाल की निःस्वार्थ दानशीलता तथा नवापारा नगर के प्रतिष्ठित युवा व्यवसायी श्री मनमोहन जी अग्रवाल के अतुलनीय दान और नवापारा-राजिम की दानशील जनता के सक्रिय सहयोग से ही इस संस्था का उदभव हो सका। अपने स्थापना सत्र (1994-95) में यह महाविद्यालय कला एवं वाणिज्य संकाय के साथ प्रारंभ हुआ था। द्वितीय सत्र (1995-96) में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोग शाला के साथ विज्ञान संकाय भी श्री कुलेश्वर प्रसाद जी दुबे एवं श्री शिवदास जी गोयल के सौजन्य से प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय का अपना निजी भवन एवं परिसर, रायपुर-राजिम मुख्य मार्ग पर स्थित है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 1.कला संकाय (भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, इतिहास) 2.विज्ञान संकाय (गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायो टेक्नॉलाजी, कम्प्यूटर साईंस आई टी,) 3.कम्प्यूटर संकाय (बी.सी.ए.) 4.वाणिज्य संकाय - बी.कोम. (सभी अनिवार्य विषय) एवं शिक्षा संकाय - बी.एड. तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय, (समाजशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान) वाणिज्य संकाय (एम.काम.), कम्प्यूटर संकाय (एम.एस.सी. कम्प्यूटर) विज्ञान संकाय (एम.एस.सी. बायोटेक्नालॉजी, एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र, गणित तथा रसायन एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम - पी.जी.डी.सी.ए एवं डी.सी.ए. संचालित है।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। इस महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व को समग्र रूपेण विकसित करना है ताकि वे आगे चलकर दृढ़तापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सफल हो सकें।

2. संरचना

विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता यह महाविद्यालय जाति, वर्ग एवं धर्म से पूरे राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग एवं मैत्री का संगम स्थल है। यह महाविद्यालय "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना पर आधारित है। हमारे अध्यापक विषय विशेषज्ञता के साथ ही विभिन्न भाषा दृष्टिकोण एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महाविद्यालय का आदर्श वाक्य

"विद्यया अमृतम् अश्नुते "

4. उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था

महाविद्यालय में सभी संकायों में यू.जी.सी. मापदण्ड के अनुसार अनुभवी प्राध्यापक नियुक्त हैं। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययन हेतु निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

1. स्नातक स्तर -

(अ) कला संकाय

- बी.ए. भाग - एक, दो एवं तीन
- मुख्य अनिवार्य विषय - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
- एच्छक विषय - निम्न में से कोई तीन
- 1. अर्थशास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. हिन्दी साहित्य 4. भूगोल
- 5. समाजशास्त्र 6. इतिहास

(ब) वाणिज्य संकाय

- अ) बी.कॉम. भाग- एक, दो एवं तीन (सभी अनिवार्य विषय)
- अनिवार्य विषय:- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
- एच्छक विषय: Computer
- 1.अर्थशास्त्र समूह 2.लेखांकन समूह 3. प्रबंध समूह

(स) विज्ञान संकाय

- बी.एस.सी. भाग- एक, दो एवं तीन
- अनिवार्य विषय : हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन के साथ

1. गणित समूह

- अ) रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित
- ब) भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित
- स) भौतिक शास्त्र, आई.टी., गणित

2. बायो समूह

- अ) वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र

3. बायोटेक्नालॉजी

- अ) वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र
- बायोटेक्नालॉजी समूह (जैव प्रौद्योगिकी)
- अ) प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र
- बायोटेक्नालॉजी समूह (जैव प्रौद्योगिकी)

(द) कम्प्यूटर संकाय

- बी.सी.ए. भाग- एक, दो एवं तीन
- डी.सी.ए.- बारहवीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं हेतु
- पी.जी.डी.सी.ए. (स्नातक उत्तीर्ण)

(इ) शिक्षा संकाय

- बी.एड. -2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम

2. स्नातकोत्तर स्तर

(अ) कला संकाय

भूगोल, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र

(ब) वाणिज्य संकाय

एम.कॉम.

(स) कम्प्यूटर संकाय

एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान

(द) विज्ञान संकाय

एम.एस.सी. बायोटेक्नालॉजी, एम.एस.सी. रसायन शास्त्र

एम. एस.सी. गणित तथा वनस्पतिशास्त्र

5.a प्रवेश हेतु अर्हताएँ

(अ) बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.-सी. प्रथम वर्ष -

1. प्रवेशार्थी मा.शि.म. छ.ग. की 12वीं परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों।
2. प्रवेशार्थी की आयु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार हो।
3. उपयुक्त परीक्षा में परीक्षार्थी के प्राप्तांक कम से कम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है परन्तु प्रवेश प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित संख्या तक दिया जायेगा।

(ब) बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी. - भाग दो एवं तीन हेतु -

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. इस महाविद्यालय के वे नियमित छात्र-छात्राएँ जो एक विषय में पूरक की पात्रता रखते हैं उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु उन्हें महाविद्यालय शैक्षणिक शुल्क प्रवेश के समय जमा करना होगा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्थायी माना जायेगा।
3. जिस छात्र के संबंध में महाविद्यालय की प्राध्यापक परिषद या अनशासन समिति ने सर्वानुमति से प्रवेश न देने का निर्णय लिया हो या जिसके विरुद्ध गंभीर अपराधिक और आचरण संबंधी प्रमाण या रिपोर्ट हो तो उन्हें प्रवेश देने से महाविद्यालय के प्राचार्य वंचित कर सकते हैं।
4. इसी प्रकार अध्ययन, अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले, परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले, बल प्रयोग करने वाले अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित और उत्तीर्ण आवेदकों को स्थान उपलब्ध होने पर और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियमित छात्र के रूप में प्रवेश दिया जायेगा।

(स) एम.ए. भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र एवं एम.कॉम.

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हों।
2. प्रवेशार्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो।
3. उपर्युक्त परीक्षा में प्रवेशार्थी के प्राप्तांक 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है परन्तु प्रवेश प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित संख्या के आधार पर दिया जायेगा।
4. अध्ययन अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले प्रवेशार्थी को उस विभाग के प्राध्यापकों की सलाह पर महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा निर्धारित दण्ड मान्य होगा।

(द) बी.सी.ए. प्रवेश अर्हताएँ -

बारहवीं उत्तीर्ण (गणित संकाय को प्राथमिकता)

(ई) एम.एस-सी (कम्प्यूटर) प्रवेश अर्हताएँ -

बी.एस.सी. गणित, सीएस आई.टी., बीसीए)

(उ) एम.एस-सी (बायोटेक्नोलॉजी) एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र) प्रवेश अर्हताएँ -

बी.एस.सी. बायो, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी उत्तीर्ण

(ऊ) एम.एस-सी (रसायन) प्रवेश अर्हताएँ -

बी.एस.सी. में एक विषय रसायन होना अनिवार्य है।

(A) एम.एस-सी (गणित) प्रवेश अर्हताएँ -

बी.एस.सी. गणित।

बी. एड. प्रवेश अर्हताएँ -

प्री. बी.एड. एवं एस.सी.ई. आर.टी. काउंसलिंग के माध्यम से।

5.B प्रवेश -

1. प्रवेशार्थी विवरण पत्र में संलग्न निर्धारित प्रवेश आवेदन पर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें।
2. प्रवेश आवेदन पत्र में समस्त पूर्तिया स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं भरी जायें।
3. प्रवेश आवेदन पत्र प्रवेशार्थी के माता/पिता/अभिभावक द्वारा यथा विधि प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित हो
4. प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त कर जमा करें।
5. छात्र-छात्रा का बैंक खाता नंबर व मोबाईल नंबर दिया जाय।

6. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. **यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।**
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छुपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। दिये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना ? अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय विद्यार्थी महाविद्यालय से जा रहा हागा तब अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी। इस निधि वापसी के समय विद्यार्थी को पहले रसीद प्रस्तुत करनी होगी। छात्रावास की अमानती निधि 3 वर्ष तक नहीं ली जायेगी। तो वह उसके पश्चात् रातसात् समझा जायेगी।
6. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरणिका में किसी भी नियम उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। और वे इस दिशा में विज्ञप्ति तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर सामान्य रूप से अनिवार्यता लागू होंगे।
7. दीपावली तथा ग्रीष्मकाल के समय विद्यार्थियों को रेल्वे कन्शेसन भी दिये जाने की व्यवस्था है जो रेल्वे के नियमानुसार दिये जाते है।
8. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बता, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दें और इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी व्यक्ति को नहीं होगा।
9. सत्र के दौरान यदि अध्ययन छोड़ा जाता है तो सुरक्षित के अतिरिक्त कोई भी राशि वापस नहीं होगी।

7. रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध -

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसे धृणित एवं अमानवीय प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध है । रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी व जुर्माना (या दोनों) महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जाएगी।

8. शिकायत पेटी की व्यवस्था -

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गयी है इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम के डाल सकता है।

1. महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैगिंग गतिविधि अशांति एवं अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं सप्लाई विषयका।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैकबोर्ड आदि विषयका।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति अन्य प्रमाण पत्र विषयका।
4. किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन विषयक ऐसा सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्य प्रणाली में सकारात्मक सुधार लायें।

खेल विभाग

1. विभाग की वार्षिक योजना -

माह जुलाई से प्रत्येक खेल का अभ्यास समय - सुबह 6 से 8 बजे शाम 4 से 6

खेलों का नाम- एथलेटिक्स, क्रिकेट, बालबैडमिंटन, जिम, कबड्डी एवं अन्य खेल विधाएं।

अंतर्महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय टीम की सहभागिता जैसे उपरोक्त में नाम दिया गया है।

वार्षिक खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह - 26 जनवरी को



विशेष विभाग

**एन.सी.सी.
(NCC)**



**राष्ट्रीय सेवा
योजना (NSS)**





महिला छात्रावास



जिम सुविधा

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)



NCC (ARMY)



Lekhran Sinha Indian Army



Tejram Sahu Indian Army



Hiraram Verma Indian Army

Name of Recruited cadet from NCC Army
Of
Seth Phoochand Agrawal Smriti college, Nawapara-Rajim

Starting year of NCC(Army)- 2011-12

S.N.	Name of Cadet	Regimental Num.	Defense field	Year of selection	Address
1	Lekhran Sinha S/O Ramadhar	CG/50/15/71570	Army	2015	Bhendri
2	Ashutosh Patel S/O Dhanraj Lal	CG/50/15/71555	Air Force	2016	Rajim
3	Heeraram Varma S/O BhanuRam	CG/50/14/71357	Army	2017	Partawa
4	Dinesh Kashyap S/O Rekham	CG/50/14/71560	CRPF	2016	Rawali
5	Ramendra Sahu	CG/50/17/670110	Army	2017	Mara
6	Tarjiam Sahu S/O Yadram	CG/50/13/71561	Army	2018	Borgaon
7	Shivam Kumar Sahu S/O Anuram	CG/50/19/670122	Navy	2020	Goji
8	AashuToshSinghRajput S/O Biraj Singh	CG/50/14/71553	PM Rally in RDC(Delhi)	2017	Nawapara Rajim



Ramendra Sahu Indian Army



Shivam Kumar Indian Air Force



**Ashutosh Singh Rajput
RDC selected candidate**



Dinesh Kashyap CRPF

टाॅपर्स



Kaushal Agrawal
B.com Final 4th rank
B.com Final- 76.5%
Aggregate- 73.39%



Nidhi Diwan
Percentage- 77.55
M.com Final merit list 8th rank



कुमारी लालिमा नशिद
प्रावीण्य सूची मे 10वा स्थान
बी.एड चतुर्थ सेमेस्टर मई- जून 2019



Digeshwari Sahu
B.Sc.3 Maths group 81.88%
Pravinya suchi 1st Rank
6 Gold Medal



Sheetal Gautam
2nd in merit B SC final



Kaushal Kumar Sahu
S/o Devchand Sahu
University merit listed,
2 times SET qualified, GATE Qualified,
Assistant Scientists
written exam cleared
And currently
Assistant professor(GL)
Govt. Digvijay Autonomous
PG college rajnandgaon C.G.



25 वर्षों में बहुत उपलब्धि हासिल श्री सेठ फूलचंद कॉलेज ने : धनेन्द्र

‘सेतु-सिंहिक विद्यार्थि अर्चन एण्ड स्टूडेंट यूथ’ कार्यक्रम में विद्यायक ने मेकअप विद्यार्थियों को प्रदान किया **जुलै 2019**

● **काठमाडौं विशेष: नवापारा-राजिम**
www.navaabart.org

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय द्वारा अपने 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित राजत अर्चना समारोह ‘सेतु-सिंहिक विद्यार्थि अर्चन एण्ड स्टूडेंट यूथ’ का विधिवत उद्घाटन अभ्यर्णु विद्यायक धनेन्द्र साहू के मुख्य आतिथ्य में किया गया, अख्यता सांस्कृतिक अग्रवाल करारकाल वाले ने की, विशेष अतिथि के रूप में मनमोहन अग्रवाल, रमेश पांडेय उपाध्यक्ष, डॉ. पदमा गुप्ता उरुगुणा, रवीश साहू विद्यायक प्राथमिक



उत्कृष्ट छात्र-छात्राएं एवं प्राध्यापक सम्मानित

सत्याभामा अग्रवाल की स्मृति में मनमोहन अग्रवाल अध्यक्ष शर्मा निष्काय द्वारा प्र. विद्यायक शुकल विद्यायकालय की परीक्षा में अपने अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को मंगल मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें दिनेश्वरी साहू, नीलामणी मुनिष वर्मा, गौरव पुत्री गुरुवामी गोकाम तृतीय वर्मा, ललितानिवात गौरव मुनिष वर्मा, रुजयुक्त चन्द्रकाश चौधरी तृतीय वर्मा, ललितानिवात गौरव मुनिष वर्मा सम्मानित हुए, इसके कड़ी में प्राध्यापक एवं कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट सेवा एवं मार्गदर्शन के लिए रॉडेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें श्री. एके सोनपुरी विभागाध्यक्ष प्राणीप्रदान, शिवकुमार पाण्डेय क्रीडाशिक्षिका, डॉ. अजय कुमार शर्मा सांस्कृतिक गणित, डॉ. आरके राजक सांस्कृतिक चर्चित एवं कर्मचारियों में महेंद्र निवासे कार्यालय अध्यक्ष, मंगल दत्त, निमाई दास एवं नेहरू राम साहू आदि सम्मिलित हैं।

क्रांति उपाध्यक्ष, अग्रवाल गोलख संस्थक, भाग्यचंद बगनी, विनोदछत्री श्री खचित उपस्थित थे, शुक्रवार को नवी टीएस सिस्टीम अपॉरिहाय कारगो से नहीं आ पाए, जिसके लिए विद्यायक ने खर प्रकट किया।

कार्यक्रम में विद्यायक श्री साहू ने कहा कि सेतु जिसे श्रामोय तथा छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी उद्देश्यों को लेकर मात्र 100 विद्यार्थियों से प्रारंभ कर आज 1800 की संख्या पहुंच चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के 25 वर्षों में हासिल उपलब्धियों में शामिल होने



इशतहार
18.08.2019 को 123 वर्ष 2018-19 का शताब्दी उत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यायक धनेन्द्र साहू के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में विद्यायक धनेन्द्र साहू के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में विद्यायक धनेन्द्र साहू के मुख्य आतिथ्य में किया गया।

विद्यायक धनेन्द्र साहू द्वारा उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा राजिम



फूलचंद कॉलेज में छात्रों ने दी रंगारंग प्रस्तुति

कुछ ट्रिक का प्रयोग कर किसी के विचारों को समझ सकते हैं : आचार्य



दिल्ली स्थित श्री. नवापारा राजिम

श्री. अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि वे एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं।



आचार्य ने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं।



फूलचंद कॉलेज में अभिषेक आचार्य का हुआ कार्यक्रम



छात्र-छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुति

नवापारा-राजिम, 7 दिसंबर (देशबन्धु)। सेठ फूलचंद अम्बवाल स्मृति महाविद्यालय में मॉडर्न रीडर अभिषेक आचार्य का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर उन्होंने


विद्यार्थियों से पूछा कि किसी के दिमाग को पढ़ पाया क्या संभव है? कहा कि संभव है। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रयास करते हैं।



लेबोरेटरी



Physics Laboratory



Chemistry Laboratory



Botany Laboratory

विद्यार्थी तस्वीरे



Com.Lab



PTC



BT Lab



BT Lab



PTC



PTC



Sports



NCC Parade



B T Lab



Mushrooms Production



Psychology Lab



BT Lab

PD (Personality Development)



महाविद्यालय में पिछले २ वर्षों से पर्सनल एक्सेलेन्स की क्लासेज चल रही है जिसमें पहले वर्ष मुंबई से इंटरनेशनल ट्रेनर अचिरा मेहता जी ने बच्चों को कम्यूनिक्शन स्किलिए गुरैटिट्यूड गोल सेटिंग इत्यादि विषयों पे ट्रेन किया गया और फरि उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करके और छस्ट सर्टिफायड प्रैक्टशिनर कॉलेज की कपतमबजवत भावना अग्रवाल संचालति कर रही है जिसका लाभ बहुत से विद्यार्थियों ने लिया है

9. प्रवेशार्थी हेतु समान्य निर्देश (प्रवेश प्रक्रिया) -

1. विश्वविद्यालय नियमानुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ तत्पश्चात् महाविद्यालय से प्रवेश हेतु संपर्क करें। जिन छात्रों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे उनके नामों की सूची मेरिट के आधार पर सूचना-पटल पर चरपा कर दी जायेगी। प्रवेशार्थी को चाहिए कि वे सूचना पटल पर शुल्क जमा करने के लिए जो अंतिम तिथि दर्शाई गई है उस अवधि के अंदर शुल्क जमा करा दें। शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर उसका प्रवेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा।
2. अस्वीकृत आवेदन पत्रों की कोई सूचना आवेदनों को अलग से नहीं दी जावेगी और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा।
3. जिन छात्रों के प्रकरण विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का कारण विश्वविद्यालय को शिकायत प्रेषित है उन्हें तब तक प्रवेश की पात्रता नहीं होगी जब तक वे उस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते जिसमें ऐसे प्रकरणों की शिकायत की गई हो।
4. प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बतायें, किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश अस्वीकृत कर सकते हैं।
5. प्रवेश के समय विवाद उत्पन्न होने पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
6. छ.ग. शासन व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान सत्र के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई और नियम और मार्गदर्शिका जारी की जाती है तो प्रवेश उसी नियमानुसार दिया जावेगा।

10. शुल्क वितरण -

(अ) शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क -

विश्वविद्यालयीन शुल्क -

1. नामांकन शुल्क
2. शारीरिक क्षेत्र शुल्क

सुरक्षा निधि शुल्क (अतिरिक्त देय होगा) -

1. वाचनालय शुल्क
2. प्रायोगिक शुल्क

सुरक्षा निधि की राशि प्रवेश शुल्क के साथ ही देय होगी -

- राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (एस.टी./एस.सी./अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु) की सुविधा उपलब्ध है।
- शिक्षण शुल्क प्रवेश के समय एक मुश्त जमा करने पर 1 माह की शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। फीस (शुल्क) में संशोधन करने का अधिकार प्राचार्य एवं शिक्षण समिति को होगा वह मान्य होगा।
- प्रवेश लेने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगी। (छ.ग. उच्च शिक्षा प्रवेश मार्गदर्शिका नियमों के अनुसार)
- टी.सी. पूर्ण महाविद्यालयीन शुल्क जमा करने पर दी जायेगी।
शिक्षण शुल्क प्रत्येक माह की 15 दिनांक तक ही देय होंगे। यदि 15 तारीख तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में 15 तारीख के बाद 3.00 रु. प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदंड लगेगा और चार सप्ताह के बाद नाम कट जायेगा। और पुनः प्रवेश के लिए 500 रु. अतिरिक्त देय होगा। सारा शुल्क फरवरी माह तक पूरा जमा किया जाये।
- सुरक्षा निधि राशि की वापसी हेतु संबंधित राशि की प्रथम वर्ष की मूल रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी तथा यह राशि संस्था छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर ही निकाली जा सकती है। यह भी ध्यान रहे कि सुरक्षा निधि टी.सी. के कम से कम एक सप्ताह बाद देय होगी।

बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.-सी. - प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयीन शुल्क में विशेष सुविधा - 30 जुलाई तक प्रवेश प्राप्त करने पर

1. 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं को प्रवेश शुल्क देय होगा। शिक्षण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट रहेगी। वि.वि. शुल्क, प्रायोगिक एवं सुरक्षानिधि शुल्क देय होगा।
2. 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं को 30 प्रतिशत शिक्षण शुल्क में छूट रहेगी। वि.वि. शुल्क, प्रायोगिक एवं सुरक्षानिधि शुल्क देय होगा।
3. प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही आने वाले वर्ष में छूट दी जायेगी।

11. ग्रन्थालय विभाग -

वर्तमान समय एवं विकासशील अवस्था में शिक्षा को नई स्फूर्ति के साथ नवजीवन संचार के लिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए, निरक्षर जनता को साक्षर बनाने के लिए और प्रत्येक पुस्तक प्रेमी की मानसिक क्षमता की पूर्ति के लिए पाठ्य सामग्री की नियमित आपूर्ति आवश्यक है एवं इसके लिए एक सुविकसित ग्रन्थालय अनिवार्य है।

महाविद्यालय के पुस्तकालय में कुल 18037 पुस्तकें हैं। महाविद्यालय ग्रन्थालय में विभिन्न विषय के 25 राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्रिकाएँ, 15 प्रतियोगी व ज्ञान परक मासिक पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आते हैं। महाविद्यालय में इंप्लिब्लेट के अंतर्गत एन-लिस्ट की सहायता से ई-ग्रन्थालय की सुविधा उपलब्ध है।

ग्रन्थालय विषयक नियम -

1. महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को ग्रन्थालय में पंजीयन अनिवार्य है।
2. प्रत्येक छात्र को दो से अधिक पुस्तकें निर्गमित नहीं होगी।
3. पुस्तकों को 15 दिन के भीतर वापस लाना अनिवार्य है अन्यथा प्रतिदिन 1 रु. के दर से चार्ज लगेगा।
4. पुस्तक गुम होने की स्थिति में पुस्तक की नई प्रति या वर्तमान मूल्य देय होगा।
5. वार्षिक परीक्षा में अध्ययन हेतु आवश्यकतानुसार जितनी पुस्तकें चाही जायेगी नियमानुसार प्रदान की जायेगी।



12. राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएँ -

1. महाविद्यालय में जिम (व्यायाम शाला) युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
2. प्रदान किया गया है। जिसमें छात्र-छात्राएं अभ्यास कर सकते हैं।

इसी प्रकार संभाग एवं राज्य स्तर के अलावा महाविद्यालय के छात्रों ने अंतर्विश्वविद्यालय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर महाविद्यालय एवं अंचल को गौरवान्वित किया है।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बेंगलोर की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप महाविद्यालय में "आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ" की स्थापना की गई है। जिसका उद्देश्य गुणवत्ता में सतत सुधार और अकादमिक उत्कृष्टता को प्राप्त करना है। दीर्घकालिक गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलुओं में गुणवत्ता प्रबंधन रणनीति को अपनाया जाता है। प्रथम चक्र में महाविद्यालय को "बी" ग्रेड राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बेंगलोर द्वारा प्राप्त हुआ है।

13. उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम -

विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति उन विद्यार्थियों को ही मिलेगी जिनकी उपस्थिति महाविद्यालय की कक्षाओं में अध्यापित प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत होगी। इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा। तत्संबंधी सूचना अभिभावकों को भी दी जायेगी।

14. सत्रारंभ -

वर्तमान शिक्षा सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ होगा एवं इसी तिथि से प्रथम वर्ष की नियमित कक्षाएं प्रारंभ होगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाएं परीक्षा परिणाम होने के 15 दिन पश्चात प्रारंभ होगी महाविद्यालय अध्यापन कार्य का समय कक्षाओं की संख्या, छात्र संख्या के आधार पर प्रवेश पूर्ण होने के उपरांत जारी करेगा।

15. छात्रवृत्तियाँ :- सत्र 1994 से अब तक -

पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति, अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को छ.ग. शासन की छात्रवृत्तियां इस महाविद्यालय के पात्र विद्यार्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस हेतु प्रवेश के तत्काल बाद विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय में जमा करना होगा। छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य छात्रवृत्ति यथा निर्धन, प्रतिभाशाली अल्पसंख्यक एवं विकलांग छात्रवृत्तियों के लिए भी विद्यार्थी नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। महाविद्यालय समिति द्वारा योग्य छात्र-छात्राओं को अध्ययन, खेल एवं शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों हेतु सहयोग प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियां सीधे बैंक खाते में जाती है अतः प्रवेश लेते समय स्वयं का चालू बैंक खाता एवं मोबाईल नम्बर दें। इसके अभाव में छात्रवृत्ति रुक सकती है।

16. विद्यार्थी संबंधी नियमावली -

1. महाविद्यालय में अपने वाहन/मोटरसायकल कतार में व्यवस्थित ढंग से रखें।
2. महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राएं सौम्य, सुसंस्कृत निर्धारित गणवेश धारण कर प्रवेश करें।
3. सभी सूचनाएं विद्यार्थी सामान्य सूचना-पटल एवं संकाय पटल पर अवश्य देखें।
4. सूचना पटल पर लगी सूचनाओं को न फाड़ें यह विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है।

5. वद्यार्थी अपने साथ कीमती सामान न लावें। उनके सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। खोने पर महाविद्यालय प्रशासन की किसी भी प्रकार की जवाबदारी नहीं होगी।
6. कक्षाओं में अनावश्यक लाइट तथा पंखे चालू छोड़कर न जावे।
7. महाविद्यालयीन प्रयोगशाला, जिम पुस्तकालय की सामग्रियों का उपयोग अनुशासित ढंग से करें तथा उचित समय पर चीजें वापस लौटा दें।
8. महाविद्यालय के छत (ऊपर भाग) एवं निर्जन क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें।
9. मादक द्रव्यों नशीले पदार्थों आदि का सेवन कर महाविद्यालय में प्रवेश न करे।
10. महाविद्यालय परिसर में गुटखा तम्बाकू खाकर कहीं भी न थूकें। साथ ही महाविद्यालय के प्रसाधन में भी स्वच्छता का ध्यान रखें।
11. विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व कक्षा में उपस्थिति विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार 75 प्रतिशत होनी चाहिए। उपस्थिति कम रहने की स्थिति में वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. शैक्षणिकोत्तर गतिविधियां एवं प्रोत्साहन -

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विद्यार्थियों के बहुमुखी प्रतिभा के कमशः विकास एवं प्रोत्साहन हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाएं निम्नानुसार है:-

(अ) राष्ट्रीय सेवा योजना : महाविद्यालय में रा.से.यो. की 100 छात्रों की इकाई विद्यमान है।

(ब) राष्ट्रीय कैडेट कोर : महाविद्यालय में एन.सी.सी. नेवल विंग (छात्र) एवं स्ववितीय आधार पर एन.सी.सी. आर्मी विंग (छात्र/छात्राएं) की इकाई विद्यमान है।

(स) कीड़ा प्रशिक्षण : महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं हेतु जिम एवं खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है।

(द) आंतरिक मूल्यांकन : शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाये, रखने के लिए महाविद्यालयीन व्यवस्थानुसार तीन चरणों में आंतरिक मूल्यांकन आयोजित किया जायेगा। जिसमें कम से कम दो चरणों में प्रत्येक विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

(इ) वार्षिक पत्रिका : आंचलिक विषयों पर छात्र छात्राओं की प्रतिभा को उजागर करने हेतु महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका प्रयास का प्रकाशन किया जाता है।

(न) छात्र परिषद एवं अन्य समितियां : छात्र संघ का गठन प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालयीन अध्यादेशानुसार चुनाव प्रणाली में होगा।

उपर्युक्त अनुसार गठित छात्र संघ परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा यथाशीघ्र शपथ दिलाई जायेगी। छात्र संघ परिषद को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम महाविद्यालय द्वारा आयोजित होता है। इसी प्रकार महाविद्यालय में विज्ञान, कला, एवं वाणिज्य परिषद का गठन किया जाता है।

अध्यक्ष को शपथ ग्रहण तिथि 15 दिनों के अंदर छात्र परिषद की बजट सभा नियमानुसार बुलानी होगी बजट के अनुसार एवं निर्धारित कार्यक्रमों के परिधि में ही छात्र परिषद कार्य करेगी। अन्य समितियों का गठन प्राध्यापक परिषद की स्वीकृति और निर्धारित की गई विधि के अनुसार किया जायेगा। छात्रसंघ परिषद को प्राचार्य कभी भी बिना कारण बताए भंग कर सकती है।

(व) कैरियर काउंसिलिंग विभाग व्यक्तित्व विकास : महाविद्यालय में कैरियर काउंसिलिंग सेल का गठन किया गया है। जिसमें समय समय पर छात्र छात्राओं को रोजगार व उच्च शिक्षा संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालयीन शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र.....

1. प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	30 जुलाई
2. कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14 अगस्त
3. वार्षिक परीक्षा परिणामों की धोषणा	विश्वविद्यालय के तहत्
4. पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की धोषणा	विश्वविद्यालय के तहत्
5. पूरक परीक्षा का आयोजन	विश्वविद्यालय के तहत्
6. पूरक परीक्षा के परिणामों की धोषणा	विश्वविद्यालय के तहत्

छात्र गतिविधियां -

1. छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया	विश्वविद्यालय के तहत्
2. छात्रसंघ शपथ ग्रहण	विश्वविद्यालय के तहत्

खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां -

1. खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर/आउटडोर)	विश्वविद्यालय के अनुसार
2. खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर/आउटडोर)	विश्वविद्यालय के अनुसार
3. महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर/आउटडोर) सांस्कृतिक कार्यक्रम दिसंबर	

एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियां -

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम	21 अगस्त तक
2. कैम्प	नवम्बर
3. महाविद्यालय स्तर पर बाषिकोत्सव का आयोजन	दिसंबर
4. दीक्षान्त समारोह	विश्वविद्यालय के अनुसार

विभिन्न अवकाश -

1. दशहरा	विश्वविद्यालय के अनुसार
2. दीपावली	विश्वविद्यालय के अनुसार
3. शीतकालीन	विश्वविद्यालय के अनुसार
4. ग्रीष्मकालीन	विश्वविद्यालय के अनुसार

बर्षिक परीक्षा कार्यक्रम -

1. प्रायोगिक	-	विश्वविद्यालय के तहत्
2. वार्षिक	-	विश्वविद्यालय के तहत्
अध्यापन कार्य दिवस	-	धोषित अवकाश को छोड़ शेष दिनों में।

व्याख्यान व अन्य बौद्धिक कार्यक्रम -

महाविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बौद्धिक कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक को महाविद्यालय में 07 घंटा रहना होगा।

1. प्रातः कालीन पाली	-	प्रातः 08:00 से 2:30 तक अपरान्ह
2. द्वितीय पाली	-	प्रातः 10:30 से 5:30 तक अपरान्ह

अपरान्ह के अलावा दिये गये कार्यो को पूरा करना होगा। कोर्स पूर्ण न होने की स्थिति में अतिरिक्त कक्षा लेनी होगी। महाविद्यालय में सम्पन्न होने वाली गतिविधियों में उपस्थित रहना होगा।

नियमित विद्यार्थियों के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -

1. 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
3. प्रारंभिक उपस्थिति की गना दो बार की जावेगी। उपस्थिति नोटिस बोर्ड से प्राप्त होगी।
4. कम उपस्थिति वाले छात्रों से विश्वविद्यालय अतिरिक्त शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।
5. महाविद्यालय कैलेण्डर में दर्शायी गई तिथियों के अलावा अन्य किसी भी समय नृत्य-गीत के कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जायेंगे।

(ण) वार्षिक स्नेह सम्मेलन -

विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेण्डर के अनुसार 31 दिसंबर के पूर्व आयोजित किया जाता है।

18. अनुशासन, नियम, आचरण, संबंधी निर्देश -

1. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर एवं परिसर के बाहर का आचरण एवं व्यवहार महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप रहे और स्वतः प्रेरणा से अनुशासित रहें ताकि दंड की आवश्यकता ही न पड़े।
2. महाविद्यालय के नाम पर बाहर से चंदा लेना या विज्ञापन लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम के उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मानते हुए उन पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
4. हिंसक, आतंक, धार्मिक, उन्माद, अनैतिक गतिविधियों से छात्र छात्राएं दूर रहें यदि ऐसे आरोप प्रमाणित हुए तो उन्हें तत्काल महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।
5. महाविद्यालयीन संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा व स्वच्छता में प्रत्येक अध्येता रूचि लेगा। महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना पोस्टर चिपकाना वर्जित है।
6. **विद्यार्थियों को प्रतिदिन परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।** परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है परिचय पत्र खो जाने पर उचित शुल्क देकर पुनः परिचय पत्र प्राप्त करना होगा।
7. प्रत्येक छात्र-छात्राएं अपने सहपाठियों शिक्षको व कर्मचारियों से नम्रता का व्यवहार करेगा अथवा कभी भी अश्लील अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा।
8. छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से आकर शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
9. छात्रों से अपेक्षा कि जाती है कि वे सक्रिय दलगत राजनीति से दूर रहे।
10. परीक्षाओं में या उनके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने में या अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयत्न गंभीर दुरुचरण माना जायेगा।
11. छात्रों को अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठा व गरिमा में सतत् वृद्धि हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए।
12. अनुशासनहीनता, लगातार अनुपस्थिति शुल्कों का नियमित जमा न किया जाना असंतोषजनक आचरण रैगिंग आदि के कारण किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं।
13. अध्येताओं को अध्ययन हेतु निर्धारित समय पर महाविद्यालय में उपस्थिति होना और कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
14. विद्यार्थी खाली कालखण्डों में अन्य अध्ययन कक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगे।
15. यह पुस्तिका महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों के प्रतिबिंब को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती है। अतः समाहित बिन्दुओं से किसी विद्यार्थी की अनभिज्ञता अक्षम्य होगी।
16. महाविद्यालय परिसर में **मोबाईल पूर्णतः प्रतिबंधित है।**

19. विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान -

मध्यप्रदेश (छ.ग.) के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचार किये जाने पर ऐसे छात्र-छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उक्त अध्यादेश में निर्मांकित दंड का प्रावधान है:-
1.निलंबन 2.निष्कासन 3.विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने से रोकना।

महाविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं

इस महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान अर्जित कर महाविद्यालय एवं अंचल को गौरवान्वित किया है।

20. महाविद्यालय को अपने सतत् उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ग्लोबल अवार्ड 2019 में बेस्ट कॉलेज से सम्मानित किया गया है।

महाविद्यालय प्रशासन और परिवार

कुलपति

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ.ग.)

डॉ. केशरीलाल वर्मा

1. शासी निकाय -

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.श्री मनमोहन अग्रवाल (अध्यक्ष) | 5.श्री विनोद छल्लानी |
| 2.डॉ. शोभा गावरी (प्राचार्य) | 6.वि.वि.द्वारा नामित दो सदस्य |
| 3.श्री रमेश पहाड़िया | 7.श्री ए.के. सोनपुरी |
| 4.श्री बसंत झाबक | 8.डॉ. मनोज मिश्रा |

महाविद्यालय प्रशासनिक, संकाय एवं विभागाध्यक्ष परिवार -

- | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 प्राचार्य | डॉ. (श्रीमती) शोभा गावरी (प्राचार्य) | 94791-36402 |
| 2 प्रशासक | डॉ. पी.बी.हरिहरनों | 98262-33535 |
| 3 संचालक | श्रीमती भावना अग्रवाल | 99263-33553 |
| 4 उप-प्राचार्य | डॉ. मनोज मिश्रा | 93400-77052 |

संकाय प्रमुख -

- | | | |
|-----------------|--------------------|-------------|
| 1 कला संकाय | डॉ. मनोज मिश्रा | 93400-77052 |
| 2 वाणिज्य संकाय | डॉ. आर.के.रजक | 98261-60784 |
| 3 विज्ञान संकाय | प्रो. ए.के.सोनपुरी | 99770-30201 |

स्नातकोत्तर संकाय -

1. विभागाध्यक्ष (बायोटेक)	डॉ. (श्रीमती) शोभा गावरी	94791-36402
2. विभागाध्यक्ष (कम्प्यूटर)	डॉ. डी. चाफेकर	99937-49254
3. विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)	डॉ. आर.के.रजक	98261-60784
4. विभागाध्यक्ष (भूगोल)	डॉ. राजेश्वर वर्मा	99261-40654
5. विभागाध्यक्ष (शिक्षा)	श्रीमती हेमलता साहू	79746-65977
6. विभागाध्यक्ष (हिन्दी)	डॉ. राजेश श्रीवास	98271-96498
7. विभागाध्यक्ष (रसायन)	श्रीमती सुषमा शर्मा	91312-45651
8. विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र)	डॉ. सी.एल.साहू	93033-88721
9. विभागाध्यक्ष (राजनीतिशास्त्र)	डॉ. डी.पी.निर्मलकर	94060-87552

अन्य प्रमुख -

1. IQAC	डॉ. अजय कुमार शर्मा	98272-43844
2. कीड़ा	श्री शिवकुमार पाण्डेय	98271-78422
3. ग्रन्थालय	श्री छम्मनलाल वर्मा	99932-55433
4. राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ. आर.के.रजक	88717-35039
5. एन.सी.सी. (आर्मी)	प्रो. विजय सिंह राजपूत	83191-53290
6. एन.सी.सी. (नेवल)	डॉ. पूनम सिंह	79876-23312
7. महिला छात्रावास	डॉ. प्रीति मिंज	78983-81218

अंत में छात्र छात्राओं से

विश्व के शिक्षाविदों प्राध्यापकों एवं बुद्धिजीवियों की यह धारणा हमेशा रही है कि कला, वाणिज्य, विज्ञान में किसी भी संकाय की शिक्षा को उदार विधा में स्नातक स्तर पर परम्परागत रूप से विश्वविद्यालय के पूर्ण नियंत्रण में अध्ययन अध्यापन का होना आवश्यक होता है। कारण तो इसके अनेक हैं परन्तु एक कारण यह भी है कि स्नातक स्तर कि विद्यार्थियों की अवस्था संक्रांति की होती है। किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने की वय संधि की। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी जिंदगी बनना बिगड़ना सुधरता इसी अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए उस पर नियंत्रण न रख जाए तो उसकी स्वतंत्रता स्वाधीनता व स्वच्छंदता उदण्डता में परिवर्तित हो जाती है और वे उच्छृंखल हो जाते हैं। अनुशासहीनता पनपती है तथा विघटन उत्पन्न होता है जो कि स्वयं, घर, परिवार एवं समाज तथा राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है अतः नियंत्रण आवश्यक तो है साथ ही साथ अनिवार्य भी।

किसी भवन की चिरस्थिरता और दृढ़ता जिस प्रकार अपने आधारशीला पर निर्भर करता है तथा लघु पादपों का विशाल वृक्षत्व अपने बाल्यावस्था के निरंतर सिंचाई और संरक्षण पर आश्रित होता है ठीक उसी प्रकार अनुशासन भी छात्रों के भावी संसार का आधार तैयार करता है।

हम विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की त्याग भावना, जनता की शुभेच्छाओं, आयोग की उदार नीति शासन की सम्पोषण नीति विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन अपने अनुभवी प्राध्यापकों के अथक परिश्रम व कर्मचारियों के सहयोग और सबसे बढ़कर अपने छात्र-छात्राओं के अनुशासनबद्ध संस्कार एवं सहकार के निर्माण के लिए हम एक नये मार्ग पर, एक नई दिशा की ओर अपनी मंजिल के लिए अनवरत कदम बढ़ाएंगे... बढ़ाते रहेंगे।

कोशिश कर हल निकलेगा,

आज नहीं तो कल निकलेगा।

अर्जन के तीर सा निशाना साध,

जमीन से भी जल निकलेगा।

मेहनत कर, पौधों को पानी दें,

बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।

ताकत जुटा हिम्मत को आग दे,

फौलाद का भी बल निकलेगा।

जिन्दा रख, दिल में उम्मीदों को,

समन्दर से भी गंगाजल निकलेगा।

कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की,

जो है आज थमा-थमा सा, वो चल निकलेगा।

प्राचार्य

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय
नवापारा-राजिम, रायपुर (छ.ग.)

पदाधिकारी गण

अध्यक्ष - श्री मनमोहन अग्रवाल

उपाध्यक्ष - श्री रमेश पहाड़िया

सचिव - श्री विनोद छल्लानी

उपसचिव - डॉ. राजेन्द्र गदिया

कोशाध्यक्ष - श्री स्वरूपचंद टाटिया

सदस्य गण

श्री बसंत झाबक - 9977030044, 233332

श्री भागचंद बंगानी - 233831, 9826633821

श्री अशोक गंगवाल - 233316, 9826454848

श्रीमती ढेलाबाई जैन - 233663

श्री यश अग्रवाल - 9826233553

श्रीमती भावना अग्रवाल - 9926333553

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

- (1) पासपोर्ट आकार का तीन छायाचित्र (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चस्पा करें तथा दूसरी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें) तथा फोटो के पीछे अपना नाम लिखें ।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्य प्रतिलिपि ।
- (3) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि ।
- (4) चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि (अमहाविद्यालयीन छात्र दो गणमान्य नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।)
- (5) अप्रवास (Migration) प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्य प्रतिलिपि (दूसरे वि.वि./बोर्ड से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए) ।
- (6) पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि ।
- (7) एन.एस.एस. / क्रीड़ा / एन.सी.सी / साहित्यिक / सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप का प्रमाण पत्र ।
- (8) पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदि के छात्र-छात्राओं के माता-पिता / अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र ।
- (9) छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश आवेदन नियम की अंतिम एवं मान्य होंगें ।

(नोट:— प्रवेश के समय उक्त प्रपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।)

उपलब्धियां



माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रेष्ठ सामाजिक व अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिये महाविद्यालय को पुरस्कृत किया गया।



माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट प्राचार्य के लिये डॉ. शोभा गावरी को पुरस्कृत किया गया।



श्रेष्ठ सामाजिक व अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिये महाविद्यालय को पुरस्कार।

प्रकृति व पर्यावरण के संतुलन बनाये रखने हेतु महाविद्यालय परिसर में किये गये कार्य।



सौर ऊर्जा उपकरण का प्रयोग।



ऑक्सीजोन वातावरण निर्मित



औषधि पौधों का रोपण एवं संरक्षण



नवापारा नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493881

फोन: 07701-233794, फ़ैक्स: 07701-234094

website: www.spcacollege.ac.in, E-mail : spcacollege@gmail.com